संख्या:-21/2024/1057/78-1-2024-02आई0टी0/2024

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक
यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड
लखनऊ।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊ दिनाँकः 29 जून 2024

विषयः उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2020 (प्रथम संशोधन) के अन्तर्गत ब्लॉकचेन के क्षेत्र में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 (प्रथम संशोधन) के अन्तर्गत राज्य में 8 स्टेट ऑफ आर्ट उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना किया जाना परिलक्षित है। आईआईएम लखनऊ द्वारा अपने नोएडा परिसर में राज्य सरकार के सहयोग से ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता के केंद्र (CoE-BT) की स्थापना प्रस्तावित है।

2- ब्लॉकचेन एक मूलभूत तकनीक है जो कानून व्यवस्था, ई-गवर्नेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सुरक्षा, रक्षा क्षेत्र, वित्तीय सेवाओं, व्यक्तिगत क्षेत्रों में सुरक्षा, विश्वास, पारदर्शिता, मजबूती, गोपनीयता और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करके कई क्षेत्रों को मौलिक रूप से बदल कर हमारे समाज में क्रांति लाने की क्षमता रखती है।

3- आईआईएम लखनऊ ब्लॉकचेन सहित उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र से स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए आईआईएम एंटरप्राइज इनक्यूबेशन सेंटर (आईआईएम एल-ईआईसी) के माध्यम से स्टार्टअप और उद्यमिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रहा है। प्रस्तावित सीओई की तकनीकी क्षमता को बढ़ाने के लिए, आईआईएम, लखनऊ ने टेक्नोजलॉजी पार्टनर के रूप में माइक्रोसॉफ्ट तथा ब्लॉकचैन के क्षेत्र में उद्योग संपर्क और अन्य प्रासंगिक विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में STPI, DLT Labs और 5ireChain के साथ साझेदारी की है।

आईआईएम लखनऊ के प्रस्ताव का विवरण

Institute Name	IIM Lucknow
Floor Area Committed	10,000 Sq. Ft.
Location	Noida
Total Budget (in Cr.)	21.49
Demand from Government (in Cr.)	**10.46**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Contribution of Host Institute (in Cr.)	11.03
Existing Capabilities and Infrastructure	Infrastructure of 10,000 Sq. Ft for housing 100 startups in 5 Yrs. Internet facility for all startups free of cost. Co-Working space with modern facility. Dedicated portal to give space to all startups under Block Chain CoE. FREE ACCESS TO RESEARCH LABS AI/ML and supercomputing facility for startups. IoT, 3 D printing labs for Blockchain Startups. Virtual dedicated platform to access the supercomputer globally.
Support from other relevant organisations	Microsoft, DLT Labs,5 irechain, STPI
Deliverables	ACCESS TO INDUSTRY EXPERTS & IIML RESOURCE POOL Direct access to renowned industry experts across sectors. Access to IIML Faculty, Alumni and Student network for mentoring support Access to more than 60+ global corporate partners housed at IIML EIC. ACCESS TO FUND SUPPORT FOR STARTUPS Committed access of INR 75.00 Lac to potential Startups in Blockchain. Access to funding schemes at IIML EIC under SISFS, NIDHI & IIML Access to a network of more than 50 + Angels Networks and VC firms.

<u>सीओई की स्थापना के उद्देश्य</u>

1. विभिन्न अनुप्रयोगों और सेवाओं को तैनात करने के लिए ब्लॉकचेन के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय स्तर के बुनियादी ढांचे की स्थापना करना।

2. तेजी से ब्लॉकचेन एप्लिकेशन विकास हासिल करने के इच्छुक Stakeholders को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।

3. ब्लॉकचेन तकनीक में विभिन्न हितधारकों जैसे स्टार्टअप और इनोवेशन सेंटरों को आपसी सहयोग से ब्लॉकचेन जैसी सेवा प्रदान करना।

4. भारत सरकार के मौजूदा ढांचे में प्रमुख चुनौतियों जैसे कि भारतीय नागरिकों का पहचान प्रमाण प्रबंधन, कानून और व्यवस्था आदि का समाधान।

5. सेवा की गुणवत्ता के साथ सरकारी संचालन में सुधार के लिए ब्लॉकचेन अनुप्रयोगों और सेवाओं के उत्थान के लिए स्टार्टअप और नवाचार केंद्रों के साथ सहयोग करना।

6. ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में विभिन्न हितधारकों को कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करना और आपसी सहयोग से स्टार्टअप और नवाचार केंद्रों द्वारा विकास के लिए ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म की पेशकश करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. विभिन्न हितधारकों के लिए समर्थन प्रदान करने के साथ-साथ विश्वास, सुरक्षा, जवाबदेही, गोपनीयता तथा पारदर्शिता रखना।

8. हाइपर लेजर फैब्रिक, हाइपर लेजर इंडी, हाइपर लेजर बरो, हाइपर लेजर ग्रिड, हाइपर लेजर इरोहा और हाइपर लेजर सॉटूथ जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग प्रस्तावित पीओसी को तैनात करने के लिए किया जाना है।

<u>सीओई की स्थापना के लक्ष्य</u>

1. ब्लॉकचेन तकनीकी के क्षेत्र में 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स की स्थापना 5 साल में किया जाना।
2. राज्य में 25 से ज्यादा तकनीकी संस्थाओं में ब्लाकचेन तकनीकी के क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम किया जाना।
3. 1000 पेशेवरों ब्लॉकचेन टेक्नालॉजी हेतु प्रमुख इंजीनिरिंग कॉलेजों के छात्रों से सम्पर्क किया जायेगा एवं छात्रों को विभिन प्रकार की टेक्नालॉजी पर ट्रेनिंग प्रदान करना।
4. स्टार्टअप्स को रू 75 लाख का सीड फंड प्रदान करना।

<u>ब्लॉकचेन सीओई का प्रारूप</u>

प्राप्त प्रस्ताव में यह उल्लेख है कि ब्लाकचेन सीईओ, हब और स्पोक मॉडल पर कार्य करेगा, जिसमें आईआईएम लखनऊ एक सीईओ टेक्नोलॉजी हब के रूप में तथा गोरखपुर, कानपुर/लखनऊ तथा मेरठ/अलीगढ़ में स्थापित प्रमुख तकनीकी संस्थान स्पोक मॉडल के रूप में कार्य करेंगे।

<u>सीओई की स्थापना हेतु होने वाले व्ययों का विवरण</u>

Budget Proposal Submitted by IIM, Lucknow

(IN INR)

Sr. No.	Budget Head	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Total
I	**CONTRIBUTION FROM Govt. of UP**						
I.A	**Capital Expenditure (Non-Recurring)**						
	Technology Labs and Tech Advancement	1,00,00,000	50,00,000	-	-	-	**1,50,00,000**
	Office equipment including state-of-the art communication network	5,00,000	2,50,000	2,50,000	-	-	**10,00,000**
	Co-working & Infrastructure Support	50,00,000	25,00,000	25,00,000			**1,00,00,000**
	Total Capital Expenditure (A)	**1,55,00,000**	**77,50,000**	**27,50,000**	**-**	**-**	**2,60,00,000**
I.B	**Operational Expenditure (Recurring)**						
	Manpower Expense	48,00,000	52,80,000	58,08,000	63,88,800	70,27,680	**2,93,04,480**
	Travel Expense	10,00,000	11,00,000	12,10,000	13,31,000	14,64,100	**61,05,100**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	Utility, Maintenance and other administrative expenses	10,00,000	11,00,000	12,10,000	13,31,000	14,64,100	**61,05,100**
	Marketing, Promotion & Publicity Expense	30,00,000	33,00,000	36,30,000	39,93,000	43,92,300	**1,83,15,300**
	Mentoring, GTM, Training (Capacity Building)	30,00,000	30,00,000	30,00,000	30,00,000	30,00,000	**1,50,00,000**
	Administrative Overhead	6,40,000	6,89,000	7,42,900	8,02,190	8,67,409	**37,41,499**
	Total Operational Expense (B)	**1,34,40,000**	**1,44,69,000**	**1,56,00,900**	**1,68,45,990**	**1,82,15,589**	**7,85,71,479**
I.C	**Total Contribution from UP Govt. for CoE Project**	**2,89,40,000**	**2,22,19,000**	**1,83,50,900**	**1,68,45,990**	**1,82,15,589**	**10,45,71,479**
II	**CONTRIBUTION FROM IIML EIC**						
II.A	**CONTRIBUTION FROM IIML EIC**						
	Technology Lab Support to Startups						**3,50,00,000**
	Startup Sitting Charges	6,00,000	12,00,000	12,00,000	12,00,000	12,00,000.00	**54,00,000**
	Startup Help Desk	25,00,000	27,50,000	30,25,000	33,27,500	36,60,250.00	**1,52,62,750**
	Startup Tool Kit						**2,50,00,000**
	Manpower Expenses	39,30,000	41,65,800	44,15,748	46,80,693	49,61,534.00	**2,21,53,775**
	Total Contribution from IIML EIC	**70,30,000**	**81,15,800**	**86,40,748**	**92,08,193**	**98,21,784.00**	**10,28,16,525**
II.B	**Seed Investment Contribution from IIML EIC**						**75,00,000**
	Total Budget (in Rs.)						**21,48,88,004**
	Total Contribution from Govt. of UP for Centre of Excellence (in Rs.)						**10,45,71,479**
	Total Contribution from IIML EIC (in Rs.)						**11,03,16,525**
	% Contribution from Govt. of UP for Centre of Excellence						**49%**
	% Contribution from IIML EIC						**51%**

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 (प्रथम संशोधन) के अन्तर्गत प्रदेश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन तथा उद्यमिता के पोषण हेतु आईआईएम लखनऊ द्वारा अपने नोएडा परिसर में ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता के केंद्र (CoE-BT) को उसकी स्थापना तिथि से 5 वर्ष की अवधि में, अनुदान के रूप में अधिकतम रु 10.00 करोड़ तक आर्थिक सहायता (जिसमें पूंजीगत तथा परिचालन व्यय सम्मिलित है)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रदान की जायेगी तथा सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स को वित्तीय सहायता पर निहित व्यय-भार का वहन 'उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020' के अन्तर्गत अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ से प्राप्त धनराशि रु 30 करोड़ प्रतिवर्ष (05 वर्षों में कुल रु 150 करोड़) से बनाये गये कॉरपस फण्ड से किया जायेगा।

5- आईआईएम लखनऊ द्वारा अपने नोएडा परिसर द्वारा स्थापित किये जाने वाले उपर्युक्त सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स हेतु वर्णित लक्ष्यों के अनुसार समयबद्ध रूप से अपने कार्यों का सम्पादन किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

6- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित पीएमआईसी के मार्गदर्शन में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स परियोजनाओं के अनुश्रवण हेतु performance indicators को परिभाषित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उपर्युक्त सेन्टर आफ एक्सीलेन्स द्वारा पर्याप्त संख्या में स्टार्ट-अप को मेन्टरिंग सपोर्ट प्रदान किया जाय एवं स्टार्टअप को फण्डिंग भी उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किया जाय।

7- उत्कृष्टता के केन्द्र को वित्तीय सहायता का संवितरण उनके कार्य-प्रदर्शन पर पीएमआईसी के निर्णय पर निर्भर होगा। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता का उपयोग एवं उपभोग यथानिर्धारित समय-सारणी एवं उल्लिखित शर्तों के अनुरूप किया जायेगा। उत्कृष्टता का केन्द्र 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने तक स्व-निर्भर हो जायेगा तथा इसके पश्चात केन्द्र को शासन से कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं होगी।

8- प्रस्तावित उत्कृष्टता के केन्द्र द्वारा किये जा रहे कार्यों के अनुश्रवण हेतु नोडल संस्था-यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड कार्यरत है। आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन तथा नोडल संस्था-यूपीएलसी द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा कि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2020 (प्रथम संशोधन) के प्रस्तर-8.8 के अनुसार उत्कृष्टता के केन्द्र अपनी भूमिका का समुचित निर्वहन करेंगे। इसके अतिरिक्त उत्कृष्टता के केन्द्र द्वारा किये जा रहे कार्यों का मार्गदर्शन प्रदान किये जाने के लिए नीति में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में पीएमआईसी की व्यवस्था है। कार्यों के अनुश्रवण करने पर पीएमआईसी के मार्गदर्शन में उत्कृष्टता के केन्द्र को यथावश्यक निर्देश प्रदान किए जायेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अनिल कुमार सागर

प्रमुख सचिव

संख्या:-21/2024/1057(1)/78-1-2024 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

(2) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(5) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
नेहा जैन
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।